

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 10, बुधवार, शाके 1947- दिसम्बर 31, 2025 Pausa 10, Wednesday, Saka 1947- December 31, 2025	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 17, 2025

संख्या एफ14(1)(1)श्रम/विधि/67-पार्ट- 111/00294 :- बीड़ी तथा सिंगार कर्मकार (नियोजन की शर्त) अधिनियम-1966 (1966 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 32) की धारा-2 के खण्ड (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सम्मुख अंकित क्षेत्र के लिए एतद्द्वारा सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत समक्ष प्राधिकारी के समस्त कार्य करेंगे:-

क्र.सं.	अधिकारी	जिला/क्षेत्र जिसके लिए नियुक्त किया जाता है
1	सहायक श्रम आयुक्त, कुचामन-डीडवाना	कुचामन-डीडवाना जिला
2	श्रम कल्याण अधिकारी, ब्यावर	ब्यावर जिला
3	सहायक श्रम आयुक्त, बाड़मेर	बाड़मेर जिला
4	सहायक श्रम आयुक्त, बालोतरा	बालोतरा जिला
5	श्रम कल्याण अधिकारी, फलोदी	फलोदी जिला
6	सहायक श्रम आयुक्त, कोटपूतली-बहरोड़	कोटपूतली-बहरोड़ जिला
7	उप श्रम आयुक्त, खैरथल-तिजारा	खैरथल-तिजारा जिला
8	सहायक श्रम आयुक्त, अलवर	अलवर जिला
9	सहायक श्रम आयुक्त, राजसमन्द	राजसमन्द जिला
10	श्रम कल्याण अधिकारी, सलूमबर	सलूमबर जिला
11	श्रम कल्याण अधिकारी, डीग	डीग जिला

राज्यपाल के आदेश से,
धर्मपाल सिंह,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं,
पदेन संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान, जयपुर।